न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 1030 / 2024
अनवान : –

1. मोहिनी पत्नी बलराम पुत्री जगदीश प्रसाद पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. सावत्री उर्फ सावित्री उर्फ सावित्री देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. दर्शना पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. विनोद कुमार बिजारणियां पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -02/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29 / 29 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 5.8190 है0 भूमि में से 4 / 23 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 52 / 52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.5780 है0 भूमि में से 5 / 13 हिस्सा व खाता संख्या 53 / 52 के कुल खसरे 47 की कुल तादादी 10.4360 है0 भूमि में से 3637 / 26090 हिस्सा, व खाता संख्या 84 / 81 के कुल खसरे 56 की कुल तादादी 12.1440 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो वादीया की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादीया की बहिनें एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो कि वादीया का भाई है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी बहिन वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/29 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 5.8190 है0 भूमि में से 4/23 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.5780 है0 भूमि में से 5/13 हिस्सा व खाता संख्या 53/52 के कुल खसरे 47 की कुल तादादी 10.4360 है0 भूमि में से 3637/26090 हिस्सा, व खाता संख्या 84/81 के कुल खसरे 56 की कुल तादादी 12.1440 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादीया अकेली काबिज है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीया की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादीया की बहिने एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो कि वादीया का भाई है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा उनका जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी बहिन वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/29 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 5.8190 है0 भूमि में से 4/23 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.5780 है0 भूमि में से 5/13 हिस्सा व खाता संख्या 53/52 के कुल खसरे 47 की कुल तादादी 10.4360 है0 भूमि में से 3637/26090 हिस्सा, व खाता संख्या 84/81 के कुल खसरे 56 की कुल तादादी 12.1440 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादीया अकेली काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/29 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 5.8190 है0 भूमि में से 4/23 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.5780 है0 भूमि में से 5/13 हिस्सा व खाता संख्या 53/52 के कुल खसरे 47 की कुल तादादी 10.4360 है0 भूमि में से 3637/26090 हिस्सा, व खाता संख्या 84/81 के कुल खसरे 56 की कुल तादादी 12.1440 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है। वादीया द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादीया संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/29 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 5.8190 है0 भूमि में से 4/23 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.5780 है0 भूमि में से 5/13 हिस्सा व खाता संख्या 53/52 के कुल खसरे 47 की कुल तादादी 10.4360 है0 भूमि में से 3637/26090

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा, व खाता संख्या 84/81 के कुल खसरे 56 की कुल तादादी 12.1440 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1030/2024

अनवान : –

1. मोहिनी पत्नी बलराम पुत्री जगदीश प्रसाद पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. सावत्री उर्फ सावित्री उर्फ सावित्री देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. दर्शना पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. विनोद कुमार बिजारणियां पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1030 सन 2024 निर्णय दिनांक –02/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/29 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 5.8190 है0 भूमि में से 4/23 हिस्सा भूमि तथा खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.5780 है0 भूमि में से 5/13 हिस्सा व खाता संख्या 53/52 के कुल खसरे 47 की कुल तादादी 10.4360 है0 भूमि में से 3637/26090 हिस्सा, व खाता संख्या 84/81 के कुल खसरे 56 की कुल तादादी 12.1440 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन करवाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:51 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर